रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2000/कार्तिक 19, 1922
No. 572] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2000/KARTIKA 19, 1922

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2000

सा.का.नि. 863 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 6 की उपधारा 7 और उपधारा (8) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंश-कालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. **परिभाषाएं:**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रसार भारती (भरतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) अभिप्रेत है; और

(ख) इसमें प्रयुक्त और इन नियमों में परिभाषित न किए गए किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. **पूर्णकालिक सदस्यों का वेतन:**—(1) किसी कार्यपालक सदस्य के रूप में पूर्णकालिक सदस्य का वेतन छब्बीस हजार रुपये (नियत) प्रति मास होगा

(2) सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) के रूप में पूर्णकालिक सदस्यों का वेतन 22,400-525—24,500 रुपये के वेतनमान में होगा :

परंतु सदस्य (वित्त) या सदस्य (कार्मिक) की किसी पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हो गया है और जो पेंशन (किसी अशक्त पेंशन या प्रति कर पेंशन से भिन्न) उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान या अन्य रूप में सेवा निवृत्त फायदे के रूप में किसी सेवानिवृत्त फायदों का प्राप्तकर्ता या जिसने उन्हें प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है। ऐसे पूर्णकालिक सदस्य के वेतन में से पेंशन और उपदान के समतुल्य पेंशन अंशदान भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या किसी अन्य रूप में सेवा निवृत्त फायदे यदि कोई हो जो उसने लिए हों या जो वह लेने वाला हो, की सकल राशि कम कर दी जाएगी।

4. **मंहगाई भत्ता और नगर प्रति कर भत्ता:**—कोई पूर्णकालिक सदस्य, केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पा रहे समूह ''क'' अधिकारी को अनुज्ञेय दर से मंहगाई भत्ता और नगर प्रति कर भत्ता प्राप्त करेगा।

5. **भविष्य निधि:**—(1) कोई पूर्णकालिक सदस्य, अंशदायी भविष्य निधि अधिनियम, 1962 के उपबंध द्वारा शासित होगा और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन अंशदान करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा:

परन्तु यह कि ऐसा कोई पूर्णकालिक सदस्य,—

(क) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में सेवारत अधिकारी है,

(ख) जिसे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है,

साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन साधारण भविष्य निधि स्कीम में अभिदाय का विकल्प दे सकेगा।

(2) कोई पूर्णकालिक सदस्य निगम में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान का हकदार नहीं होगा।

6. **यात्रा भत्ता :**—कोई पूर्णकालिक सदस्य जब भारत के भीतर या स्थानान्तरण पर यात्रा पर हो (जिसके अंतर्गत निगम में कार्यभार संभालने के लिए स्वयं और कुटुम्ब के द्वारा अथवा निगम में अपनी पदावधि की समाप्ति पर कुटुम्ब के साथ अपने गृह नगर को जाते हुए की गई यात्रा सम्मिलित है) उसी मापमान में और उसी दर पर जो समतुल्य वेतन पा रहे केन्द्रीय सरकार के समूह ''क'' अधिकारियों को लागू हैं, यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों और व्यक्तिगत चीज वस्त के परिवहन का हकदार होगा।

7. **छुट्टी यात्रा रियायत :**—कोई पूर्णकालिक सदस्य उसी मापमान में और उसी दर से जो समतुल्य वेतन पा रहे केन्द्रीय सरकार के समूह ''क'' अधिकारी को लागू हैं, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

8. **वास सुविधा :**—(1) किसी पूर्णकालिक सदस्य के पास, दिल्ली में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास किसी उपनगरी में अवस्थित निवास के लिए ऐसे गृह किराए भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा जो समतुल्य रैंक के केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(2) किसी पूर्णकालिक सदस्य के, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास किसी उपनगरी में पट्टाधृत वास सुविधा के विकल्प की दशा में वह संलग्न समुचित खुली भूमि सहित लगभग 300 वर्ग कि०मी० क्षेत्र की भूमि पर निर्मित भाड़े पर असुसज्जित वास सुविधा का हकदार होगा जो संबंधित नगर पालिका निकायों के विनियमों के अधीन अनुज्ञेय होगा।

9. **चिकित्सा सुविधाएं :**—कोई पूर्णकालिक सदस्य चिकित्साय उपचार और सुविधा का हकदार होगा जो सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में उपबंधित है :

परन्तु यह कि जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू नहीं है वहां कोई पूर्ण कालिक सदस्य, जो कोई सरकारी सेवक नहीं है, वह केन्द्रीय (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में यथा उपबंधित सुविधा का हकदार होगा।

10. **परिवहन :**—कोई पूर्णकालिक सदस्य, तीन हजार रुपए से अन्यून और पांच हजार रुपए से अनधिक की राशि की नियत प्रतिपूर्ति का हकदार होगा जिसमें किसी चालक यदि कोई हो, का वेतन जो ऐसे पूर्णकालिक सदस्य ने निवास स्थान और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए अपनी व्यक्तिगत कार और उपयोग और अनुरक्षण के लिए नियुक्त किया हो, सम्मिलित है।

परन्तु निगम किसी पूर्णकालिक सदस्य को शासकीय उपयोग के लिए परिवहन सुविधा प्रदान कर सकेगा और ऐसी दशा में पूर्णकालिक सदस्य इस नियम के अधीन किसी प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

11. **छुट्टी :**—(1) कोई पूर्णकालिक सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा।

(2) छुट्टी की दौरान छुट्टी वेतन का संदाय, केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के नियम 40 के उपबंधों के अधीन शासित होगा।

(3) कोई पूर्णकालिक सदस्य, किसी समय अपने खाते में उपार्जित छुट्टी की 50 प्रतिशत छुट्टियों को भुनाने का हकदार होगा।

12. **विदेश का दौरा :**—किसी पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किए जाने वाला विदेशी दौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में होगा जो समतुल्य वेतन पा रहे केन्द्रीय सरकार के समूह ''क'' अधिकारियों को लागू है।

13. **अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों को संदेय भत्ता :**—(1) अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य, पांच हजार रुपए प्रतिमास की अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए एक हजार रुपए प्रति अधिवेशन की दर से अधिवेशन भत्ता प्राप्त करेगा।

(2) अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए वास्तविक रूप से उपगत टैक्सी किराए की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

14. **अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों को यात्रा भत्ता** :—(1) अध्यक्ष जब दौरे पर हो (जिसके अंतर्गत निगम के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए की गई यात्रा सम्मिलित है) उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भी हकदार होगा जो भारत सरकार के सचिव को लागू हैं।

(2) कोई अंशकालिक सदस्य जब दौरे पर हो (जिसके अंतर्गत निगम के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए की गई यात्रा सम्मिलित है) उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करने का भी हकदार होगा जो भारत सरकार के अपर सचिव को लागू हो।

15. **अवशिष्ट उपबंध** :—किसी पूर्णकालिक सदस्य की सेवा की शर्तों से संबंधित विषय में जिसकी बाबत इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में विनिश्चिय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चिय किसी पूर्णकालिक सदस्य पर बाध्यकर होगा।

16. **शिथिल करने की शक्ति** :—केन्द्रीय सरकार के पास व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी नियम के उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा. सं. 12018/9/2000-बी (ए)]

अरुणा माखन, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2000

G.S.R. 863 (E).— In exercise of the powers conferred by section 32, read with sub-sections (7) and (8) of section 6, of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules regulating the salaries, allowances and other terms of conditions of service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990); and

(b) the words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Pay of Whole-time Members.**- (1) The pay of a Whole-time Member, being an Executive Member, shall be rupees twenty-six thousand per month (fixed).

(2) The pay of Whole-time Members, being Member (Finance) and Member (Personnel), shall be in the scale of Rs. 22,400-525-24,500:

Provided that in the case of appointment of a person as a Whole-time Member, being Member (Finance) or Member (Personnel), who has retired from service under the Central Government or a State Government, and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension (other than an invalid pension or compensation pension), gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Whole-time Member shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

4. **Dearness Allowance and City Compensatory Allowance.-** A Whole-time Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

5. **Provident Fund.-** (1) A Whole-time Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules, 1962 and no option to subscribe under the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 shall be available:

Provided that a whole time member who is

(a) a Serving officer in Central Government or State Government

(b) who is appointed as whole time member,

may opt to subscribe to The General Provident Fund Scheme under the provisions of General Provident Fund (Central Services) Rule, 1960.

(2) A Whole-time Member shall not be entitled to additional pension and gratuity for service rendered in the Corporation.

6. **Travelling Allowance.-** A Whole-time Member while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken by self and family to join the Corporation or on the expiry of his term with the Corporation to proceed to his home town with family) shall be entitled to the journey allowance, daily allowance and transportation of personal effects at the same scale and at the same rate as are applicable to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

7. **Leave Travel Concession.-** A Whole-time Member shall be entitled to leave travel concession at the same scale and at the same rate as applicable to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

8. **Accommodation.-** (1) A Whole-time Member shall have the option of claiming house rent allowance for the residence located in Delhi or in one of the satellite towns sourrounding the National Capital Territory of Delhi as admissible to a Central Government Officer of equivalent rank.

(2) In case a Whole-time Member opts for leased accommodation in one of the satellite towns sourrounding the National Capital Territory of Delhi, he shall be entitled to rented unfurnished accommodation with built-up area measuring around 300 sqm. with

suitable open land area appurtenant as permissible under the regulations of the concerned municipal bodies.

9. **Medical Facilities.**- A Whole-time Member shall be entitled to medical treatment and facility as provided in the Central Government Health Scheme for Government servants:

Provided that where the Central Government Health Scheme is not applicable, a Whole-time Member, who is not a Government servant, shall be entitled to facilities as provided in the Central (Medical Attendance) Rules, 1944.

10. **Transport.**- A Whole-time Member shall be eligible for fixed re-imbursement of an amount not less than rupees three thousand and an amount not exceeding rupees five thousand per month including salary of a driver, if any, employed by such Whole-time Member for the usage and the maintenance of his personal car for transportation between residence and office:

Provided that the Corporation may provide transport facility for Official use to a whole time member and in such case, the Whole Time Member shall not be entitled for any reimbursement under this rule.

11. **Leave.**- (1) A Whole-time Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.

(2) The payment of leave salary during the leave shall be governed under the provisions of rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) A Whole-time Member shall be entitled to encashment of fifty per cent. of earned leave to his credit at any time.

12. **Visit Abroad.**- The foreign tours to be undertaken by a Whole-time Member shall be in accordance with the orders issued by the Central Government as are applicable to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

13. **Allowances payable to Chairman and Part-time Member.**- (1) The Chairman and a Part-time Member shall receive a meeting allowance at the rate of rupees one thousand per meeting, subject to a maximum amount of rupees five thousand per month.

(2) The Chairman and the Part -time Member shall be entitled to re-imbursement of actual taxi fare incurred for attending each meeting.

14. Travelling Allowance to Chairman and Part-time Member.- (1) The Chairman, while on tour (including the journey undertaken to attend a meeting of the Corporation) shall also be entitled to traveling allowances and daily allowance at the same rates as are applicable to the Secretary to the Government of India.

(2) A Part-time Member, while on tour (including the journey undertaken to attend a meeting of the Corporation) shall also be entitled to traveling allowances and daily allowance at the same rates as are applicable to the Additional Secretary to the Government of India.

15. Residuary provisions.- Matters relating to the conditions of service of a Whole-time Member with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on a Whole-time Member.

16. Power to relax.- The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

[No. 12018/09/2000-B(A)]

ARUNA MAKHAN, Addl. Secy. and Financial Advisor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000.